राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक :F 26(4)( )/PMMVY-Trg/ICDS/2016-17/ 15967-999 दिनांक : 22-1-18

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त

विषयः– प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के ऑनलाईन डाटा फीडिंग के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत जैसा कि आपको विदित है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार दिनांक 01.01.2017 से प्रदेश में "प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना" (PMMVY) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा दिनांक 22.01.2018 की वी.सी में स्पष्ट निर्देश दिए है कि 30 जनवरी, 2018 तक राज्य में दिसम्बर, 2017 तक के सभी PMMVY लाभार्थियों के फामर्स की फीडिंग की जानी है। इसके लिए आपको निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है कि :–

1. प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र से सभी संभावित लाभार्थियों के फामर्स भराकर महिला पर्यवेक्षकों, बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में 3 दिवस में जमा करावें।
2. फामर्स की ऑनलाईन फीडिंग की जाए। इस हेतु ब्लॉक स्तर तक यूजर आईडी सभी जिलों को उपलब्ध करा दी गयी है। जिसके माध्यम से डीईओ यूजर से डेटा एन्ट्री तथा सीडीपीओ आईडी से Approve करना सुनिश्चित करावें।
3. डेटा फीडिंग करने के लिए आईसीडीएस संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। यदि आवश्यकता पडे तो बाल विकास परियोजना अधिकारी महिला पर्यवेक्षक के लिए डीईओ आईडी खोलकर पर्यवेक्षक के माध्यम से भी डाटा फीडिंग करा सकते है।
4. आईपीई ग्लोबल की ओर से PMMVY जिला स्तर पर सहायता प्रदान की जा रही हैं। जिला सपोर्ट मैनेजर की सहायता से PMMVY में प्रतिदिन नियमित समीक्षा करावे तथा निर्धारित तिथि तक दिसम्बर, 2017 तक के लाभार्थियों के सभी फार्मस भरना सुनिश्चित करावें।

(बिन्दु करूणाकर)
राज्य नोडल अधिकारी (MVY)/
अतिरिक्त निदेशक (आई
समेकित बाल विकास सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :F 26(4)( )/PMMVY-Trg/ICDS/2016-17/ 16000-305 दिनांक : 22-01-18

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाऍ
2. कम्प्यूटर प्रोग्रामर को विभागीय बेवसाईट पर डालने हेतु।

(सोमेश्वर देवडा)
सहायक एसएनओ (MVY)/
सहायक निदेशक (IEC)